फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 105/12-1 देहरादून, दिनांक 21-10-2020

सेवा में,

निदेशक /वन संरक्षक,
राजाजी टारइगर रिजर्व,
देहरादून।

विषयः– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 155/2018 के अन्तर्गत जनपद–पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/44583/2020**

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) का पत्रांक 1798/9सी0 दिनांक 25–06–2020

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 155/2018 के अन्तर्गत जनपद–पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की तीन (03) हार्ड /स्कैन प्रति संलग्न प्रेषित है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एंव प्रभावित/वाधित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 31–01–2020 को किया गया। प्रस्तावित मार्ग निर्माण में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 19 वृक्ष आरक्षित वन में प्रभावित /वाधित होने निहित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10–10–2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार। (प्रस्ताव की तीन (03) प्रति)।

भवदीय

(पुनीत तोमर,IFS)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 105 **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा (गढ़वाल) को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(पुनीत तोमर,IFS)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 155/2018 के अन्तर्गत जनपद–पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/ 44583/2020
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	पौड़ी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	0.51 हैक्टर (राजाजी टाइगर रिजर्व के कार्यक्षेत्रान्तर्गत)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.51 है0 आरक्षित वन भूमि कुनाऊँ ब्लाक कक्ष सं0–2
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में प्रस्तावित 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल के कार्यस्थल /समरेखण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यास वर्ग के कुल 19 वृक्ष (आरक्षित वन भूमि) में प्रभावित/ होने निहित है। उक्त सभी प्रभावित/वाधित होने वाले वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार/व्यासवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव प्रस्ताव के प्रपत्र–19 के पृष्ठ 26 एंव के प्रपत्र–19 के पृष्ठ 27 में पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत प्रस्तावक / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–33 के पृष्ठ 45 से 48 पर सहायक भू–वैज्ञानिक, की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि कुनाऊँ ब्लाक कक्ष सं0–की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	हॉ। इस बावत् प्रयोक्ता एजेन्सी एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–25 के पृष्ठ 30 एंव Minutes of 56th Meeting of राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टेण्डिंग कमेटी की दिनांक 21–01–2020 के द्वारा अनुमति तत्संबधी पत्र की प्रति प्रस्ताव के प्रपत्र–64 से 68 परे पृष्ठ 30 चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	———नहीं———
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक / लोक निर्माण विभाग एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–37 के पृष्ठ 54 पर तत्संबधी प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक / लोक निर्माण विभाग एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–14 के पृष्ठ 21 पर तत्संबधी प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व विभाग एंव राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों /कर्मचचारियों द्वारा दिनांक 27–09–2020 की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–59 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	चूंकि प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:– जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सीः– स्वयं वन विभाग। समयः– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागतः– प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित 0.51 है0 वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रू02,52,890(रू0 दो लाख बावन हजार आठ सौ नब्बे मात्र)का प्राक्कलन संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.51है0 वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रू0 2,52,890 (रू0 दो लाख बावन हजार आठ सौ नब्बे मात्र) का प्राक्कलन संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	–उक्तानुसार–
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि की अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, प्रस्तावक / लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तत्कालीन उप निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रारूप–6 के पृष्ठ 14 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विषयांकित कार्य /पुल के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल /संरेखण का स्थलीय निरीक्षण दि0 10–10–2020 को किया गया। जिसकी प्रति संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– पौडी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	532900 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	385094.2 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 438 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 1455.20 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क)दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि परः–	(क) 2678.20 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 2276.30 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांकः 21 –10– 2020 ।

हस्ताक्षर

नामः– (पुनीत तोमर, IFS)

सरकारी मुहर

निदेशक

राजाजी राष्ट्रीय पार्क

उत्तराखण्ड, देहरादून

स्थानः– देहरादून,